रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2009/फाल्गुन 6, 1930
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2009/PHALGUNA 6, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2009

विषय : दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग तथा अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण : अधिसूचना का.आ. 2432(अ), दिनांक 10-10-2008 और का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में संशोधन ।

का.आ. 544(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा बैंकेट हाल सहित व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए औद्योगिक से व्यावसायिक में परिवर्तन के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों के निर्धारण के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2432(अ), दिनांक 10-10-2008 और का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

दिनांक 10-10-2008 एवं 23-12-2008 की इन अधिसूचनाओं के पैरा 7(एच) को निम्नलिखित द्वारा बदला जाएगा :-

(दर प्रति वर्गमीटर रुपयों में)

क्रम सं.	मद	संशोधित सिफारिश	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संशोधित दरें	
1	'औद्योगिक' से बैंकेट हाल सहित 'व्यावसायिक' में उपयोग परिवर्तन के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभार	दर ढांचा निम्नानुसार है :- एक कालिक परिवर्तन प्रभार= [वर्तमान व्यावसायिक दर-(घटा) वर्तमान औद्योगिक दर] का 10%	वर्ष 2007-08 के लिए निर्मित क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे:	
			मध्य दक्षिणी, एवं द्वारका	12508 रु.
			उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी एवं रोहिणी	8097 रु.
			नरेला	1300 रु.

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में यथानिर्धारित अन्य प्रभार भी लागू होंगे ।

ये दरें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित और अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी ।

उक्त अधिसूचनाओं के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे ।

[सं. फा. 20(4)05/एम.पी./पार्ट II/पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2009

Subject : Fixation of rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021: Modifications in Notification S.O. 2432(E), dated 10-10-2008 and S.O. 2955(E), dated 23-12-2008.

S.O. 544(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification S.O. 2432(E), dated 10-10-2008 and S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to fixation of rates to be applied for use conversion charges for conversion from industrial to commercial for commercial activities including Banquet Halls.

Para 7(h) of these notifications dated 10-10-2008 and 23-12-2008 shall be substituted by the following :

(Rates in rupees per sq. mtr.)

Sl. No.	Item	Modified Recommendations	Modified Rates approved by the Ministry	
1.	Use conversion charges for change of use from 'industrial' to 'commercial' including Banquet Halls.	Rates structure given as follows : One time conversion charge= 10% of (Present commercial rate minus present industrial rate)	The use conversion charges for the year 2007-08 for the bult up area shall be as under :—	
			Central South & Dwarka	Rs. 12508
			North, East, West & Rohini	Rs. 8097
			Narela	Rs. 1300

The other charges as prescribed under MPD-2021 shall also be applicable.

These rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

Other contents of the above referred notifications shall remain unchanged.

[No. F. 20(4)05/MP/Pt. II/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.